कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, मुजफ्फरनगर।

पत्रांक 564/सा0प्र0/स्पीड लिमिट/2020 दिनांक 22.06.2020

सेवा में,

अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0),
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

विषय :– **नगरीय निकाय को छोडकर अवशेष सभी मार्गों पर गति निबन्धित कर अधिसूचना प्रकाशित कराये जाने के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 1980 स0सु0/2019–44स0सु0/2019 दिनांक 19.12.2019 एवं 756/स0सु0/2020–44स0सु0 /2014–20 दिनांक 08.06.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसमें नगरीय निकायों को छोडकर जनपद के सभी मार्गों पर गति निबन्धित कर अधिसूचना प्रकाशित कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त के अनुपालन में दिनांक 19.06.2020 को गति निबन्धित कर अधिसूचना जारी कर दी गयी है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्नक – उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), मुजफ्फरनगर।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।
2. संभागीय परिवहन अधिकारी, सहारनपुर।

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी
(प्रशासन), मुजफ्फरनगर।

enf letter (file 2) 328

कार्यालय सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।

संख्या– 546/अधि0/स0सु0/2020 : दिनांकः 19 जून, 2020

अधिसूचना

चूंकि केन्द्रीय मोटरवाहन अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या 59, 1988) की धारा–112 की उपधारा (2) में प्राविधानित है कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जनता की सुरक्षा, सुविधा या किसी सडक अथवा पुल के खराब होने के कारण जनहित में मोटरयानों/विभिन्न श्रेणी के मोटरयानों की उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को उक्त कारणों से संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित किया जा सकता है।

और जहां उक्त अधिनियम की धारा–112 की उपधारा (2) के प्राविधानों के अनुसरण में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली–1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, को नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्रों के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उपधारा (1) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचना संख्या–1377 दिनांक–06–04–2018 द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा को जनहित में उपर्युक्त प्राविधानों के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबंधित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

अतः मोटरयान अधिनियम, 1988 (अधिनियम संख्या– 59, 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली, 1998 के नियम–178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुजफ्फरनगर जनपद होकर निकलने/चलने वाले नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोडकर अन्य क्षेत्रों में मार्गों या मार्गों के अंश पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम गति सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है–

क्र0 सं0	मार्ग का नाम एवं संख्या	स्थान (कहां से कहां तक) जहां गति निबंधित रहेगी	यान की श्रेणी अनुसार निबंधित कर निर्धारित की गयी गति सीमा			
			टू व्हीलर/ थ्री व्हीलर	चालक सहित 7 सीटों तक वाले यात्रीयान	चालक सहित 8 से 12 सीटों तक वाले यात्रीयान	समस्त मालयान एवं स्तंभ 4,5 एवं 6 को छोड़ कर अन्य समस्त यात्री यान
1	2	3	4	5	6	7
1	मुजफ्फरनगर से पचेण्डा दतियाना (अन्य जिला मार्ग)	जेल फाटक–दतियाना	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
2	मुजफ्फरनगर–पुरकाजी वाया बिलासपुर–धन्धेडा–सिखरेडा–जौली–मोरना –शुक्रताल–भोकरहेडी–तुगलपुर–पुरकाजी (अन्य जिला मार्ग)	मुजफ्फरनगर बाईपास से पुरकाजी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
3	खतौली–तिसंग–घटायन (ग्रामीण मार्ग)	खतौली शुगरमिल से घटायन	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
4	खतौली–मेहलकी–चुडियाला–मीरापुर (अन्य जिला मार्ग)	खतौली शुगरमिल से चुडियाला–मीरापुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
5	खतौली–रामराज (अन्य जिला मार्ग)	खतौली शुगरमिल से लाडपुर जानसठ	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
6	मुजफ्फरनगर–खतौली–फलावदा–मवाना (अन्य जिला मार्ग)	खतौली शुगरमिल से गालोपुर फलावदा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
7	शाहपुर–भौराकला–शामली (अन्य जिला मार्ग)	शाहपुर से भाज्जू	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
8	शाहपुर–बुढाना–नगवा–शामली (अन्य जिला मार्ग)	शाहपुर से चन्धेडी नगवा कुरथल फुगाना	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

9	मुजफ्फरनगर–बाबरी–थानाभवन–जलालाबाद (अन्य जिला मार्ग)	शनिधाम (चरथावल रोड) से जसौई	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
10	मुजफ्फरनगर–चरथावल–थानाभवन–गढीखाम (अन्य जिला मार्ग)	शनिधाम (चरथावल रोड) से कादरगढ	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
11	मुजफ्फरनगर–कुटेसरा (जिला मार्ग)	रोहाना से कुटेसरा	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
12	मुजफ्फरनगर–रोहाना–नंगला–चरथावल (जिला मार्ग)	रोहना से नंगला–चरथावल	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
13	मुजफ्फरनगर–शामली–कैराना–जमनाब्रिज वाया ऊन–चौसाना–बिडौली (अन्य जिला मार्ग)	खान्जापुर से लालूखेडी	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
14	मुजफ्फरनगर–शाहपुर–बुढाना–बडौत (अन्य जिला मार्ग)	खान्जापुर बुढाना मोड से मिडकाली	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
15	मुजफ्फरनगर–शाहपुर–बुढाना–कांधला (अन्य जिला मार्ग)	खान्जापुर बुढाना मोड से राजपुर छाजपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
16	खतौली–बुढाना–कांधला–कैराना (अन्य जिला मार्ग)	खतौली–रतनपुरी–बुढाना	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
17	मुजफ्फरनगर–मन्सूरपुर–शाहपुर (जिला मार्ग एवं एन0एच0)	सुजडू से मन्सूरपुर–शाहपुर	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा
18	एन0एच0– 58 मेरठ–हरिद्वार	भैंसी कट से छपार	40 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	60 कि0मी0 प्रति घण्टा	50 कि0मी0 प्रति घण्टा

गति संबंधी उपरोक्त प्रतिबंध निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रभावी होगा–

(iii) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा– 116 में विनिर्दिष्ट साइन बोर्ड प्रतिबंधित स्थान के दोनो छोर–प्रारम्भिक एंव अन्तिम बिन्दु पर तथा मध्य में भी जगह–जगह पर आई0आर0सी0 कोड के मानक अनुसार संबंधित सड़क के स्वामित्व वाले विभाग द्वारा इस प्रकार लगाया जायेगा कि वाहन चालकों को इसकी जानकारी व ज्ञान हो सके तथा वे रात्रि में भी चमके इसके लिये रेट्रो–रिफ्लेक्टिव टेप का प्रयोग किया जायेगा।

(iv) उक्त प्रतिबंध केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 में विनिर्दिष्ट निम्न प्रकार के वाहनों पर लागू नहीं होगा–

अ) अग्नि शमन वाहन
ब) एम्बुलेंस ।
स) पुलिस वाहन।
द) कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने में लगे सैन्य बल तथा अर्ध सैन्य बल के लिये प्रयुक्त होने वाले वाहन।
य) प्राकृतिक आपदा के प्रबंधन के लिये प्रयुक्त वाहन।

(iii) उपरोक्त तालिका के कॉलम– 3 मे उल्लिखित स्थानों को छोड़कर जनपद के सभी मार्गो के अन्य क्षेत्रों (नगरीय निकायों की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर) में केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा– 112 की उप धारा (1) के अर्न्तगत भारत सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचना संख्या 1377, दिनांक– 06–04–2018, समय–समय पर यथा संशोधित, द्वारा निर्धारित अधिकतम गति सीमा यथावत लागू रहेगी।

आज्ञा से,

19/6/2020

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।

पृ0सं0–   /अधि0/स0सु0/2020 समदिनांकित–

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1– परिवहन आयुक्त, उ0प्र0।

2– अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात), यातायात निदेशालय, उ0प्र0।

3– जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर।

4– वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मुजफ्फरनगर।

5– निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।

6– अपर परिवहन आयुक्त (स0सु0), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

7– उप परिवहन आयुक्त, मेरठ परिक्षेत्र, मेरठ।

8– संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), सहारनपुर।

9– अधिशाषी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड/निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण मुजफ्फरनगर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उपरोक्त विभिन्न मार्गों पर निर्धारित गति के बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।

10– राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, मेरठ एवं देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन सम्बन्धी बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।

11– जिला सूचना अधिकारी, मुजफ्फरनगर को इस आशय से प्रेषित कि इस अधिसूचना को जनपद के समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।

12– सम्पादक, दैनिक जागरण/अमर उजाला/हिन्दुस्तान/जनवाणी/मुजफ्फरनगर बुलेटिन/शाह टाइम्स को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपरोक्त अधिसूचना अपने दैनिक समाचार पत्र में जनहित में निःशुल्क प्रकाशित करने की कृपा करें।

13– समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत/जिला पंचायत को इस आशय से प्रेषित कि अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले मार्गों पर उपरोक्तानुसार गति निबन्धन सम्बन्धी बोर्ड लगवाने का कष्ट करें।

19/6/2020

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर।

anf letter (file 2) 325

दैनिक जागरण
21/6/2020

जनपद में वाहनों की रफ्तार हुई तय

जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर: जिले में वाहनों की स्पीड तय की गई है। परिवहन विभाग ने यह कदम दुर्घटना रोकने और यात्रा को सुगम बनाने के लिए कदम उठाया है। इससे लोगों को भी राहत मिलेगी। जनता की सुरक्षा, सुविधा के साथ किसी सड़क, पुल के खराब होने के कारण कई बार दुर्घटनाएं सामने आई हैं। जिनमें जान और माल की हानि हुई है। इसी को लेकर यह कार्रवाई की गई है। अब तेज तय गति सीमा से अधिक वाहन दौड़ाया तो जुर्माना के साथ अन्य कार्रवाई भी झेलनी पड़ेगी। परिवहन विभाग मोटरयान धारा के तहत कार्रवाई को अंजाम देगा। एआरटीओ राजीव बंसल ने बताया कि नगर निकायों के क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों के भीतर वाहनों की गति सीमा तय की गई है। इसके लिए जिले के 18 मार्ग सामने आए हैं।

यह है जिले के 18 मार्ग

मुजफ्फरनगर से पंचेड़ा, दतियाना, मुजफ्फरनगर-पुरकाजी वाया बिलासपुर-पंचेड़ा-सिखरेड़ा- जौली-मोरना, शुकताल-भोकरहेड़ी-सुजड़ु-पुरकाजी, खतौली-तिस्सा-घटायन, खतौली-मेहलकी-दुधियाना-मीरापुर, खतौली-रामराज, मुजफ्फरनगर-खतौली-फलावदा-मवाना, शाहपुर-भौराकला-शामली, शाहपुर से भाजू, शाहपुर-बुढ़ाना-नावला-शामली, मुजफ्फरनगर-बघरा-चरथावल-जलालाबाद, मुजफ्फरनगर-चरथावल-थानाभवन-गढ़ीश्याम, मुजफ्फरनगर-कुटेसरा, मुजफ्फरनगर-रोहाना-नावला-सरसावा, मुजफ्फरनगर-शामली-कैराना-जमनापुल वाया ऊन-कैराना-बिडौली, मुजफ्फरनगर-शाहपुर-बुढ़ाना-बड़ौत, मुजफ्फरनगर-शाहपुर-बुढ़ाना-कांधला, खतौली-बुढ़ाना-कांधला-कैराना, मुजफ्फरनगर-मंसूरपुर-शाहपुर आदि मार्ग पर वाहनों को 40, 60 और 50 किमी प्रति घंटा की गति सीमा से चलाया जाएगा।

हिन्दुस्तान 21/6/2020

निर्धारित गति से वाहन तेज दौड़े तो होगी कार्रवाई

मुजफ्फरनगर। एआरटीओ ने मीनी बस, ट्रक, और थ्रीव्हीलर आदि वाहनों के लिए गति निर्धारित की है। शासनादेश के अनुसार एआरटीओ द्वारा विभिन्न मार्गों पर वाहनों की गति निर्धारित की गई है। वहीं कडे निर्देश भी दिए गए है कि जो इन नियमों का पालन नहीं करेंगा और निर्धारित गति से अधिक वाहनों को दौडायेगा उसके खिलाफ कडी कार्रवाई की जायगी। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि जेल फाटक से दतियाना, मुजफ्फरनगर बाईपास से पुरकाजी, खतौली शुगर मिल से घटायन, चुडियाला, मीरापुर, लाडपुर जानसठ, गालोपुर कलावडा, शाहपुर से भाज्जू, चन्धेडी नगवा, कुरथल, फुगाना, शनिधाम चरथावल रोड से जसौई, कादरगढ, रोहाना से कुटेसरा, नंगला, खान्जापुर से लालूखेडी आदि मार्गों के लिए वाहनों की गति निर्धारित की गई है।